

E-mail

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार यादव
अपर सिविल जज (अ०ख०) पंचम,
बहराइच।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
जनपद-बहराइच।

विषय- पी०एच०डी०डीग्री /उपाधि को प्रार्थी के सेवा संबंधी अभिलेखों में समावेशित करने एवं प्रार्थी के नाम के पूर्व 'डा०' लिखे जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,


ससम्मान् अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा पी०एच०डी० उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रार्थी अपने उ० प्र० न्यायिक सेवा प्रोफाइल में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु दि०-१३.०१.२०२० को पत्र प्रेषित किया गया था। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र सं०-6861/IV-4576/Admin.(A1) दिनांकित-२७.०८.२०२० के अनुपालन में प्रार्थी ने पुनः पी०एच०डी० डिग्री के संबंध में इनरोलमेन्ट, शोध प्रबन्ध के सबमिशन व मौखिक परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना मय अभिलेख दि०-०५.१०.२०२० को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि वर्ष-२०१९ में प्रार्थी को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी पी०एच०डी० डिग्री/ उपाधि को प्रार्थी की सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में समावेशित करने एवं प्रार्थी के नाम के पहले 'डा०' लिखे जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

महती कृपा होगी।

दिनांक- ०१.०३.२०२१


भवदीय,


धर्मेन्द्र कुमार यादव
अपर सिविल जज(अ०ख०)
पंचम, बहराइच।

BAHBAIGH JUDGE'S OFFICE

No. 212-I-22-18 Date 01-03-21

Forwarded


District Judge
Bahraich
01-03-21